लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक : BRLPS-LSBA/Estt/53/17/747 दिनांक : 08.03.18

कार्यालय आदेश

जिला पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 347 दिनांक 03.02.2018 द्वारा श्री कुमार मंगलम, वर्तमान में कार्यरत जिला समन्वयक, पूर्वी चम्पारण पर सख्त अनुशासनिक कारवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा पत्रांक 1779 दिनांक 20.09.17 के माध्यम से श्री कुमार मंगलम से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, जिसका जबाव कुमार मंगलम द्वारा समर्पित नहीं किया गया।

श्री कुमार मंगलम अपने पदस्थापित जिले से बिना सूचना के दिनांक 11.09.2017 से 11.10.2017 तक अनुपस्थित रहे एवं दिनांक 12.10.2017 को योगदान करते समय जो पत्र प्रस्तुत किया गया वह स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

साथ ही जिला जल एवं स्वच्छता समिति पत्रांक 2794 गो० दिनांक 28.10.2017 के द्वारा कुमार मंगलम के मानदेय रोकते हुए स्पष्टीकरण की माँग की गयी। जिसका जबाव कुमार मंगलम द्वारा दिनांक 03.11.2017 को समर्पित किया गया, जो स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

श्री कुमार मंगलम, तत्कालीन जिला समन्वयक, शिवहर में पदस्थापना के दौरान पिपराही प्रखण्ड के अभिराजपुर बैरिया पंचायत में शौचालय निर्माण एवं वित्तीय अनियमितता किये जाने का प्राथमिकी दर्ज किया गया था। दर्ज प्राथमिकी में श्री कुमार मंगलम द्वारा जिला समन्वयक पद पर रहते निर्मित शौचालयों के निर्माण और लाभार्थी भुगतान का न तो सही रूप से अनुश्रवण किया गया और न ही लाभार्थी के भुगतान के पूर्व जाँच की गयी। जबकि जिला समन्वयक को भुगतान पूर्व सत्यापन करना था जिससे कुमार मंगलम की संलिप्तता प्रतीत होती है। इस हेतु राज्य स्तर से भी कुमार मंगलम से स्पष्टीकरण भी पूछा गया था जिसका जबाव कुमार मंगलम के द्वारा दिया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री कुमार मंगलम् द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के क्रियान्वयन के अनुरूप कार्य में रूचि नहीं लिया गया एवं किये गये कार्यों को गैर जिम्मेदाराना, मनमाने एवं अनुशासनहीन तरीके से किया गया। जो एक कर्मी के आचरण के प्रतिकूल व्यवहार को दर्शाता है।

8/3/18

426

उपरोक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री कुमार मंगलम, जिला समन्वयक, पूर्वी चम्पारण के एकरारनामे का नवीकरण नहीं करने का निर्णय लिया गया। जो तत्काल प्रभाव से लागु होगा।

आदेशानुसार
8/3/18
(राजीव कुमार सिंह)
प्रशासी पदाधिकारी-सह-
राज्य समन्वयक

ज्ञापांक : BRLPS-LSBA/Estt/53/17/747 दिनांक : 08.03.18

प्रतिलिपि : कुमार मंगलम्, जिला समन्वक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष/निदेशक DRDA -सह-सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, जिला जल एवं स्वच्छता समिति,पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/18
(राजीव कुमार सिंह)